quarters will be ready next year. At the same time—this is the answer to your question—we have designed a plan to construct a new arrivals block, an international block at Bangalore at a cost of Rs. 1300 lakhs. Approval of the Board has already been obtained. The design provides for aero-bridges. We wanted to put up areo-bridges. But we could not start the work. As I have already said, this is a defence airport. They are not agreeing to put up aero-bridges. I have already asked the Chairman, International Airports Authority of India to go to Bangalore and have some interaction and discussion with the Chairman, HAL. If they are able to provide us the facility or give us permission to go ahead with aero-bridges, we will immediately start the work. But if they do not permit us, then we will start constructing the international terminal building without aero-bridges.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय

*44. श्री राम रतन राम: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब तक की जाएगी; और

(ख) जसवन्त सिंह कमेटी ने अपनी सिफारिशों में उच्च न्यायालय की स्थापना किस स्थान पर करने की सिफारिश की थी।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान इलाहाबाद में है और उसकी एक स्थायी न्यायपीठ लखनऊ में कार्य कर रही है। जसवंत सिंह आयोग ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ आगरा में और उसकी दो सर्किट न्यायपीठें नैनीताल और देहरादून में स्थापित किए जाने की सिफारिश की है। आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशें 1986 में, उत्तर प्रदेश सरकार को, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से, उनके विचार और टीका-टिप्पणियां जानने के लिए भेजी गई थीं। राज्य सरकार से अभी तक कोई विनिर्दिष्ट पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अत: यह बताना संभव नहीं है कि इस विषय में कोई विनिश्चय कब तक कर लिया जाएगा।

Failure of PSLV-D1

*45. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE:
SHRI V. NARAYANASAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Unstarred Question No. 97 given in the Rajya Sabha on the 2nd December, 1993 and state:

(a) whether it is a fact that Government have since received the report of the Failure Analysis Committee appointed to investigate into the failure of PSLV-D1 while it was tested recently; and

(b) if so, what are the recommendations of the Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPTT. OF ATOMIC ENERGY AND SPACE WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY (SHRI BHUVNESH CHATURVEDF): (a) Yes, Sir.

(b) The major recommendations are to rectify the software implementation error and to delay the nulling of the second stage of the PSLV by about 2.0 to 2.5 seconds. The Failure Analysis Committee has further added that there are no serious lacunae in the design of the PSLV and the deficiencies noted and the modifications suggested are quite normal for the first few developmental flights of a large complex system like PSLV.

मध्य प्रदेश में जल आपूर्ति योजनायें

*46. श्री अजीत जोगी:
चौधरी हरि सिंह

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु कुछ जल आपूर्ति योजनायें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना पर कितना व्यय किये जाने के संभावना है; और

(घ) इन योजनाओं को स्वीकृति देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं:-

क्रमांक	योजनाओं के नाम	अनुमोदित राशि/ अनुमानित लागत जिसके खर्च किए जाने की संभावना है (लाख रु० में)
1.	बिलासपुर जिले में नैगा अनुसूचित जनजाति के 17 गांवों के लिए पेयजल	57.90
2.	सरगुजा जिले में पाण्डो जनजाति गांवों के लिए जल सप्लाई	122.70
3.	बस्तर जिले के लिए पेयजल सप्लाई हेतु समेकित परियोजना	1244.93
4.	उज्जैन जिले में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए घातिया परियोजना	341.50
5.	छिन्दवाड़ा जिले में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए तामियां / संसर परियोजना	439.11
6.	20,000 से कम जनसंख्या वाले छोटे नगरों में पेयजल सप्लाई हेतु 9 योजनाएं	800.60
7.	रायपुर नगर में पेयजल सप्लाई में वृद्धि	3254.00

(घ) क्रमांक 1 पर दी गई परियोजना जून, 1993 में अनमोदित की गई थी। क्रमांक 2 पर दी गई परियोजना 27 दिसम्बर, 1993 को अनुमोदित की गई थी। क्रमांक 3 पर दी गई परियोजना 18 फरवरी, 1994 को अनुमोदित की गई है। जहां तक क्रमांक 4 और 5 पर दी गई परियोजनाओं का संबंध है, राज्य सरकार को 27 जनवरी, 1994 को सूचित किया गया था कि वे इन परियोजनाओं को उन्हें सौंपी गई शक्तियों के अंतर्गत स्वीकृति दें। जहां तक त्वरित शहरी जल सप्लाई योजना के अंतर्गत छोटे नगरों को पीने का पानी सप्लाई करने की योजनाओं का संबंध है, योजना को अभी सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना है और निधियां त्वरित शहरी जल सप्लाई कार्यक्रम के अनुमोदन के बाद ही रिलीज की जा सकती हैं। क्रमांक 7 पर दी गई परियोजना 7.9.1993 को अनुमोदित की गई थी।

Fertilizer subsidy

*47. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state;

(a) what is the total amount of subsidy on fertilizers during 1993-94;

(b) whether it differs from one unit to the other; and

(c) what is the actual amount spent by Government towards subsidising fertilizers of different categories manufactured by various product on units item-wise, per metric tonne, manufactured by each unit?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) A provision of Rs. 4000/- crores (including a supplementary grant of Rs. 500/-crores obtained in December, 1993) has been made for 1993-94 for payment of subsidy on fertilizers.

(b) and (c) The difference between the cost of production of a particular manufacturing unit as assessed by the Government under the Retention-Price- cum-Subsidy Scheme and the realisation through sales at statutorily fixed consumer price, is paid as subsidy on a per tonne basis. The cost of production, including return on networth, so fixed differs from unit to unit depending upon the vintage of the plant, norms fixed for capacity utilisation and energy consumption, cost of inputs etc. Accordingly, subsidy paid to various units ranges from Rs. 575 to Rs 5585 per tonne of urea, from Rs. 1079 to Rs. 3220 per tonne of ammonium chloride, from Rs. 115 to Rs. 1022 per tonne of ammonium sulphate and from Rs. 317 to Rs. 1478 per tonne of calcium ammonium nitrate.

At present, only straight nitrogenous fertilizers mentioned above are covered under price control and subsidy scheme.

देश में औद्योगिक उत्पादन

*48. श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचकांक वर्ष 1993-94 के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन वर्ष 1992-93 की तुलना में कितना है;